उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-2
संख्या- 13 /2019/562/53-2-19-2(44)/2015
लखनऊ: दिनांक 29 अप्रैल, 2019

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2019-19 में दुग्ध् उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (अनुदान संख्या-16, जिला योजना-सामान्य) में शासनादेश संख्या-6/2019/502/53-2-19-2(44)/15, दिनांक 15 अप्रैल, 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.04.2019 के संलग्नक के स्तम्भ-3 के क्रमांक-5 से 8 में जनपदों यथा- अलीगढ, हाथरस, एटा एवं कासगंज के आहरण वितरण अधिकारी त्रुटिवश मेरठ अंकित हो गया है। ।

2- अत: उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.04.2019 के संलग्नक के स्तम्भ-3 के क्रमांक-5 से 8 में जनपदों यथा- अलीगढ, हाथरस, एटा एवं कासगंज के आहरण वितरण अधिकारी त्रुटिवश अंकित मेरठ के स्थान पर अलीगढ, हाथरस, एटा एवं कासगंज के आहरण वितरण अधिकारी, आगरा पढा जाये।

3- कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-6/2019/502/53-2-19-2(44)/15, दिनांक 15 अप्रैल, 2019 एवं तत् संलग्नक इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-13/2019/562(1)/53-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
11- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0/सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
12- आहरण वितरण अधिकारी, आगरा।
13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in